



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122020-223822
CG-DL-E-21122020-223822

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, , शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/ अग्रहायण 27, 1942

No. 359]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2020

सं. पी-12029(11)/2/2018-ओएमसी-पीएनजी.—भारत सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में वैकल्पिक ईंधन का वितरण, खुदरा नेटवर्क का विस्तार करने और ग्राहक सेवा का उच्च स्तर सुनिश्चित करने के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से दिनांक 08 नवंबर, 2019 का संकल्प संख्या पी-12029(11)/2/2018-ओएमसी-पीएनजी जारी किया था। कोविड-19 महामारी ने देश में एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा की है जिससे खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में गंभीर व्यवधान पैदा हुआ है।

2. उपर्युक्त तथ्य और परिस्थितियों के मद्देनज़र भारत सरकार ने उक्त प्रस्ताव के खंड 13.3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त संकल्प में यह संशोधन करने का निर्णय लिया है कि दिनांक 8.3.2002/10.8.2015 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के तहत परिवहन ईंधन का विपणन करने के लिए प्राधिकृत की गई कंपनियों के लिए विगत अवधि की दूरस्थ क्षेत्र संबंधी प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए उक्त संकल्प के खंड 9.1 के उपखंड ii में दी गई दो वर्ष की समयावधि को संशोधित करके दो वर्ष और छः माह कर दिया गया है। उक्त संकल्प के अन्य सभी प्रावधान अप्रभावित रहेंगे।

3. इसमें निहित निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेशों तक लागू रहेंगे।

डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**RESOLUTION**

New Delhi, the 16th December, 2020

No. P-12029(11)/2/2018-OMC-PNG.—The Government of India had issued the Resolution No. P-12029(11)/2/2018-OMC-PNG dated 08th November, 2019 with the objective of increasing private sector participation while also encouraging dispensing of alternate fuels and augmentation of retail network in remote areas and ensuring higher levels of customer service. The emergence of Covid-19 pandemic led to an unprecedented situation in the country and also led to severe disruption in many processes critical for setting up the retail outlets.

2. Considering the above facts and circumstances, the Government of India has decided to exercise power under the clause 13.3 of the said Resolution to amend the same to the effect that the time period of two years granted in sub-clause ii of clause 9.1 of the said Resolution for setting up the remote area ROs under the past period's remote area obligations has been revised to two years and six months for the entities which were authorized to market transportation fuels under the guidelines issued vide Gazette Notification dated 8.3.2002/ 10.8.2015. All other provisions of the said Resolution shall remain unaffected.

3. The decision herein contained will come into force at once and will remain in force till further orders.

Dr. NAVNEET MOHAN KOTHARI, Jt. Secy.